भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4365
दिनांक 19 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल

4365. श्रीमती दिया कुमारीः
श्री रविन्दर कुशवाहाः
श्री रवि किशनः
श्री रामदास तडसः
श्री हेमन्त तुकाराम गोडसेः
श्री सुनील कुमार मंडलः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कामकाजी महिलाओं के लिए कुल कितने हॉस्टल स्थापित/निर्मित किए गए हैं और उक्त अवधि के दौरान महिलाओं के विकास के लिए महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधि आवंटित, मंजूर और उपयोग की गई है;

(ख) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में सरकार द्वारा चलाए जा रहे या सरकार द्वारा वित्तपोषित हॉस्टलों की वर्तमान क्षमता कितनी है और सरकार द्वारा इन हॉस्टलों में सुरक्षा और जीवन-स्तर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या ये हॉस्टल आवश्यकता आधरित नामांकन प्रणाली का पालन करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कामकाजी महिलाओं का वर्ग क्या है जिन्हें अन्य वर्गों के मुकाबले वरीयता दी जाती है;

(घ) कामकाजी महिलाओं के मध्य इन हॉस्टलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का इन हॉस्टलों को चलाने में सरकारी-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान कामकाजी महिलाओं के लिए स्थापित किए गए छात्रावासों की कुल संख्या तथा महाराष्ट्र और गुजरात सहित आवंटित, स्वीकृत और प्रयुक्त की गई निधियो का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक (क) में है। जहां तक राजस्थान और उत्तरप्रदेश का संबंध है तो वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान किसी नए कामकाजी महिला छात्रावास को स्वीकृति नहीं दी गई थी और कोई निधि जारी नहीं की गई थी ।

(ख) : सन् 1972-73 में इसकी शुरूआत से, पूरे देश में लगभग 72, 268 कामकाजी महिलाओं के लाभ के लिए इस योजना के अंतर्गत 952 छात्रावासों को स्वीकृति दी गई है। कामकाजी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कामकाजी महिला छात्रावासों में एक सुरक्षा गार्ड रखने तथा सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रावधान किया गया है । कामकाजी महिलाओं के लिए गुणवत्तापरक निवास प्रदान करने के लिए इनमें रहने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए स्वच्छ और हवादार दैनिक देखभाल केंद्र के साथ कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं वहन करने योग्य निवास स्थान, प्रथम चिकित्सकीय सहायता तथा कपडे धोने वाली मशीने और

गीज़र/सौर जल हीटिंग प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए योजना में दिशानिर्देश जारी करने का प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र में स्वीकृत किए गए कामकाजी महिला छात्रावासों का ब्यौरा अनुलग्नक(ख) में है।

(ग) : इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी वे कामकाजी महिलाएं है जो अकेली, विधवा, तलाकशुदा, कानूनी तौर पर अलग रह रही, विवाहित किंतु जिसके पति या पारिवारिक सदस्य उसी शहर/क्षेत्र में नहीं रहते हैं, हो सकती हैं। समाज के कमजोर वर्गों की महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है । इस योजना के दिशानिर्देशों में विकलांग लाभार्थियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है।

(घ) : कामकाजी महिलाओं के बीच सुविधाओं के बारे में जागरूकता सृजित करना कार्यान्वयन एजेन्सियों का उत्तरदायित्व है। हांलाकि, इस योजना के दिशानिर्देश तथा मंजूर छात्रावासों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

(ड.) : इस योजना के मानदंडों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से पात्र कार्यान्वयन संगठनों जैसे कि राज्य सरकार की ऐजेन्सियों तथा सिविल सोसायटी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । किराये के परिसर में कामकाजी महिला छात्रावास/चालू छात्रावास के लिए भवन के निर्माण हेतु केंद्र सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (पूर्वोतर और हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त) तथा कार्यान्वयन एजेन्सियों के बीच लागत हिस्सेदारी अनुपात 60:15:25 है। पूर्वोतर और हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 65:10:25 है। कारपोरेट घराने या सीआईआई, एसोचैम, फिक्की आदि जैसे संगठन भी केवल सार्वजनिक भूमि पर ही छात्रावास के भवन निर्माण के लिए बराबर के अनुदान (50:50) के लिए वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं।

*****

अनुलग्नक क

कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल विषय पर दिनांक 19.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा प्रश्न संख्या 4365 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण

सरकार द्वारा वर्ष **2016-17** से **2018-19**के दौरान स्थापित किए गए कामकाजी महिला छात्रावासों का ब्यौरा

| वित्तीय वर्ष | वहन किया गया वास्तविक व्यय (राशि - करोड़ में) | स्वीकृत किए गए नए छात्रावासों की कुल संख्या |
|---|---|---|
| 2016-17 | 23.13 | 3 |
| 2017-18 | 26.96 | 22 |
| 2018-19 | 30.34 | 5 |

कामकाजी महिला छात्रावास योजना के अंतर्गत आवंटित, स्वीकृत, प्रयुक्त की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा तथा स्वीकृत नए छात्रावासों की संख्या

| क्र.सं | वर्ष | **2016-17** | | | **2017-18** | | | **2018-19** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राज्यों के नाम | (जारी की गई राशि) **(** रूपये लाखों में**)** | (उपयोग की गई राशि) (रूपये लाखों में) | स्वीकृत नए छात्रावासों की संख्या | (जारी की गई राशि) **(** रूपये लाखों में**)** | (उपयोग की गई राशि) (रूपये लाखों में) | स्वीकृत नए छात्रावासों की संख्या | (जारी की गई राशि) **(** रूपये लाखों में**)** | (उपयोग की गई राशि) (रूपये लाखों में) | स्वीकृत नए छात्रावासों की संख्या |
| 01. | आंध्र प्रदेश | 247.88 | 247.88 | --- | --- | --- | ---- | 476.93 | 476.93 | --- |
| 02. | अरुणाचल प्रदेश | 192.54 | 192.54 | 01 | 193.46 | 193.46 | --- | 116.76 | 116.76 | --- |
| 03. | असम | --- | --- | --- | 8.83 | 8.83 | 03 | 7.77 | 7.77 | --- |
| 04. | गुजरात | --- | --- | --- | 183.76 | 183.76 | 01 | --- | --- | --- |
| 05. | हिमाचल प्रदेश | --- | --- | --- | 265.83 | 265.83 | 02 | --- | --- | --- |
| 06. | कर्नाटक | --- | --- | --- | 973.66 | 973.66 | 10 | --- | --- | --- |
| 07. | केरल | 932.17 | 932.17 | --- | --- | --- | --- | 252.56 | 252.56 | --- |
| 08. | महाराष्ट्र | 347.99 | 347.99 | 02 | 7.17 | 7.17 | --- | 161.43 | 161.43 | --- |
| 09. | मध्य प्रदेश | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 244.03 | ----- | 01 |
| 10. | मणिपुर | 149.74 | 149.74 | --- | 462.27 | 462.27 | 03 | 915.51 | 915.51 | 03 |
| 11. | नागालैंड | 442.48 | 442.48 | --- | 600.56 | 600.56 | 02 | 419.58 | 419.58 | --- |
| 12. | तेलंगाना | --- | --- | --- | --- | --- | 01 | 268.91 | 268.91 | --- |
| 13 | मिजोरम | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 170.62 | 170.62 | 01 |
| कुल | | **2312.80** | **2312.80** | **03** | **2695.54** | **2695.54** | **22** | **3034.1** | **2790.07** | **05** |

अनुलग्नक-ख

कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल विषय पर दिनांक 19.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा प्रश्न संख्या 4365 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित विवरण

महाराष्ट्र में स्वीकृत किए गए कामकाजी महिला छात्रावास और उनके लाभार्थी

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | छात्रावासों की संख्या | कामकाजी महिलाओं की संख्या | दैनिक देखभाल केंद्र में बच्चों की कुल संख्या |
|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | **138** | **10704** | **1185** |